"और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।"

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 11

इस्लाम और माता-पिता

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम और माता–पिता

الْـحَـمْـدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أجْمَعِيْنَ.

माता–पिता के साथ अच्छा व्यहवहार करने का पवित्र क़ुरआन में बार–बार ज़िक्र किया गया है बल्कि अल्लाह के अधिकार के बाद विभिन्न आयतों में माता–पिता के अधिकार को बयान किया गया है। इस क्रम में इस ओर संकेत दिया गया है कि अगरचे मूल तथ्य को देखें तो तमाम पुरस्कार एवं उपकार अल्लाह ही की ओर से हैं लेकिन दुनिया में देखें तो अल्लाह के बाद सबसे अधिक मनुष्य पर उपकार माता–पिता का है क्योंकि देखा जाए तो वही दोनों दुनिया में उसके जन्म का कारण बने और बचपन से जवानी तक कड़े से कड़े समय में माता–पिता ही उसके हर प्रकार की प्रगति और अस्तित्व का कारण बनते रहे इसीलिये विभिन्न आयतों में पहले अल्लाह के हक़ अदा करने और फिर इसके साथ ही माता–पिता के हक़ अदा करने का आदेश दिया गया है।

सूरह–2, आयत–83 में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं:

﴿وَإِذْ أَخَـذْنَـا مِيْثَـاقَ بَـنِـيْ إِسْـرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللّٰـهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ (سوره نمبر ٢، آيت نمبر ٨٣)

“और जब हमने बनी इस्राईल से वचन लिया था कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करोगे और माता–पिता से अच्छा व्यवहार करोगे।

इस आयत से स्पष्ट होता है कि माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का ऐसा महत्व है कि केवल इस्लाम धर्म ही में नहीं बल्कि पहले आसमानी धर्मों में भी अल्लाह ने यह आदेश दिया था और धर्म के मानने वालों को इसका पाबंद बनाया था।

सूरह-4, आयत-36 मैं फिर अल्लाह ने अपने बंदों को आदेश दिया है कि:

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"और तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो।"

इस आयत में 9 प्रकार के लोगों से अच्छा व्यवहार करने का आदेश है लेकिन चूंकि माता-पिता की प्रतिष्ठा अल्लाह के अधिकार के बाद सबसे उच्च है इसलिये इन दोनों के साथ अच्छे व्यवहार को सबसे प्रथम रखा है लेकिन इसी विषय को सूरह-17, आयत-23-24 मैं अधिक स्पष्टता और विस्तार के साथ बयान किया है:

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۚ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾

"और तेरे पालनहार ने आदेश कर दिया कि उसके अतिरिक्त किसी की इबादत मत करो, और तुम लोग अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, और अगर तेरे पास उनमें से एक या दोनों वृद्धावस्था को पहुंच जाएं तो उनको कभी 'हूं' भी न कहना और न उनको झिड़कना, और उनसे आदर से बात करना और उनके सामने विनम्रता से कंधे झुका देना और दुआ करना कि ऐ मेरे पालनहार इन दोनों पर दया कर जैसा इन दोनों ने पाला मुझको छोटा सा, तुम्हारा ईश्वर जानता है जो तुम्हारे दिलों में है।"

वृद्धावस्था में माता-पिता को सेवा की आवश्यकता अधिक होती है जिससे कभी-कभी औलाद और घर वाले उकताने लगते हैं। आयु अधिक हो जाती है तो कभी-कभी होश भी ठिकाने नहीं रहते, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, विशेष रूप से ऐसे समय में औलाद की परीक्षा होती है। यह पवित्र आयत इसी अवस्था में औलाद को सचेत कर रही है, अज्ञाकारी औलाद का कर्तव्य है कि ऐसे समय में बूढ़े माता-पिता की सेवा और अज्ञाकारिता से रत्ती बराबर भी दुखी न हो। इस आयत में क़ुरआन ने चेतावनी दी है कि माता-पिता को ऐसी अवस्था में झिड़कना और डांटना तो दूर की बात है, ज़बान से 'हूं' कहना भी अल्लाह को पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति में भी तुझ पर अनिवार्य है कि उनसे बात करते समय पूरे मान-सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस तरह बात करो जैसे एक दोषी गुलाम अपने कठोर स्वभाव वाले मालिक और आक़ा से बात करता है।

"ए मेरे पालनहार! इन दोनों पर दया कर जैसा कि इन दोनों ने पाला मुझको छोटा सा" का अर्थ है कि जब मैं बिलकुल कमज़ोर और विवश था, उन्होंने मेरे पालन-पोषण में खून पसीना एक कर दिया, रात-दिन मेरे आराम व सुकून की ऐसी चिंता की कि अपने आराम व सुकून को भूल गए और हर मुसीबत से बचाने का प्रयास करते रहे। कई बार मेरे लिये अपनी जान जोखम में डाली। अब उनके बुढ़ापे और वृद्धावस्था का समय आया है तो जो कुछ मेरे बस में है उनकी सेवा और सम्मान करता हूं लेकिन उनकी सेवा का पूरा हक़ अदा नहीं कर सकता, इसलिये तुझसे निवेदन करता हूं कि इस बुढ़ापे में बल्कि मौत के बाद भी उन पर दया की दृष्टि कीजिये।

"तुम्हारा पालनहार खूब जानता है जो तुम्हारे दिल में है" अर्थात माता-पिता का आदर-सम्मान और उनके सामने विनम्रता दिल की गहराई से होनी चाहिये। अल्लाह जानता है कि कौन कैसे दिल से माता-पिता की सेवा करता है, अगर तुम सच्चे दिल से निस्स्वार्थ भाव से अपने अल्लाह की दया प्राप्त करने के लिये माता-पिता की सेवा

करोगे तो वह तुम्हारी गलतियों और पापों को माफ़ कर देगा और बख़्श देगा। (तफसीरे उस्मानी)

यहां इस बात पर विचार करना चाहिये कि माता-पिता के साथ अच्छे व्यवहार का जो उपदेश दिया जा रहा है वह उनके उपकार के कारण है जिनसे कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ सकता, न इनकार कर सकता है, और यह उपकार धर्म से सम्बंधित नहीं हैं बल्कि माता-पिता को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, अपनी औलाद से ऐसी मुहब्बत होती है जो उनके अतिरिक्त कहीं और नहीं मिल सकती, इसीलिये क़ुरआन में जगह जगह केवल माता-पिता के अधिकार ही को आधार बना कर उनके साथ अच्छे व्यवहार का आदेश दिया गया है लेकिन अल्लाह, जिसने सारे संसार को पैदा किया है और मनुष्य को इतनी नेअ़मतें प्रदान की हैं जिनका शुमार करना और आभार प्रकट करना भी उसके बस से बाहर है, उसका अधिकार माता-पिता के अधिकार से बहुत श्रेष्ठ और उच्च है इसलिये हर जगह माता-पिता के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन जहां समस्त संसार के पैदा करने वाले अल्लाह और माता-पिता के अधिकार आमने-सामने हो जाएंगे तो अल्लाह के अधिकार को ही माता-पिता के अधिकार पर वरीयता दी जाएगी।

चुनांचे सूरह-29, आयत-8 और सूरह-31, आयत-15 मैं अल्लाह ने फ़रमाया है कि ऐ मुसलमानो! "अगर माता-पिता तुझ पर ज़ोर डालें कि तू किसी को मेरा भागीदार और साझी बना, तो तू उनकी अज्ञा न मान।" क्योंकि अल्लाह का अधिकार माता-पिता के अधिकार पर भी भारी है, यह आयत हज़रत सअ्द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अनहु के बारे में उतरी है। यह अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे और उनके बहुत आज्ञाकारी थे। माँ का नाम 'हमना' था जो अबू सुफ़ियान की बेटी थीं। जब सअ्द ईमान ले आए और माँ को पता चला तो क़सम खा ली कि जब तक तुम अपने बाप-दादा के धर्म पर वापस नहीं आ जाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूख-प्यास में

मर जाऊंगी। उसके बावजूद भी इस आयत के आदेश के अनुसार हज़रत सअ्द रज़ियल्लाहु अनहु ने ईमान को दृढ़ता से पकड़ा और माँ की आज्ञाकारिता में किसी को अल्लाह का साझी नहीं माना।

लेकिन सूरह-31, आयत-15 मैं अल्लाह के अधिकार को माता-पिता के अधिकार पर वरीयता देने के साथ साथ यह भी आदेश दिया है "صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا" ''दुनिया में उनके साथ अच्छाई से बसर करना।'' अर्थात दीन में तो तुम अल्लाह के आदेश के मुक़ाबले में उनका कहना न मानो मगर दुनिया के कामों में जैसे उनकी शारिरिक सेवा या अर्थिक ख़र्च अर्थात दवा-इलाज आदि, इसमें कमी न होने दो, बल्कि सांसारिक मामलों में सामान्य परम्परा के अनुसार व्यवहार करो। उनकी भर्त्सना न करो और उनकी बात का जवाब इस तरह न दो जिससे माता-पिता का दिल दुखे।

इससे पता चला कि पवित्र क़ुरआन माता-पिता की सेवा और आज्ञाकारिता का आदेश धर्म के आधार पर नहीं दे रहा है बल्कि उसका आधार उनके वह महान उपकार हैं जिन पर तेरा पूरा जीवन और जीवन की धाराएं निर्भर हैं। हदीस में आता है कि हज़रत अस्मा ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ जो बुतों की पूजा करती है और वह इस्लाम को नहीं चाहती, मुझसे मिलने के लिये आई है, क्या मेरे लिये जायज़ है कि मैं उसका आदर-सत्कार और सेवा करूं? आप ने जवाब दिया कि हां उसका आदर-सत्कार करो, अर्थात माँ होने की हैसियत से उसके हक़ को अदा करो, चाहे वह मुसलमान नहीं है। यही आदेश आप अपने अनुयाइयों को दिया करते थे। हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अनहु की माँ ईमान नहीं लाई थीं। अबू हुरैरह रज़ि. माँ को ईमान लाने की प्रेरणा देते रहते थे लेकिन मानती नहीं थीं। एक दिन बेटे ने ईमान लाने को कहा तो क्रोध आ गया और माँ ने अबू हुरैरह को बुराभला कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुराभला कहा। अबू हुरैरह रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा

में पहूंचे और रोते हुए कहा कि मेरी माँ के लिये सत्य-मार्ग की दुआ कर दीजिये। आप ने तुरंत दुआ फ़रमाई कि, ऐ अल्लाह! अबू हुरैरह की माँ को सत्य-मार्ग प्रदान कीजिये। आप प्रसन्नता से रोते हुए घर पहुंचे। माँ ने उनके पैरों की आहट सुनी तो अंदर ही से कहा कि अंदर न आना, प्रतीक्षा करो। माँ नहा रही थी। फारिग होने के बाद कपड़े लपेट कर जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला और कहा कि "मैं दिल से गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।" इस घटना से यह बात मालूम होती है कि माता-पिता चाहे मुसलमान न हों फिर भी उनकी हर कड़वी से कड़वी बात बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल के सम्मान में कोई बुरी बात अबू हुरैरा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे लेकिन अल्लाह के रसूल का आदेश भी था और शिक्षा भी दी गई थी इसलिये बर्दाश्त कर गए और रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुए।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति से फ़रमाया कि बाप स्वर्ग का मध्य द्वार है, अब तुझे इखतियार है कि (इसकी आज्ञा का उल्लंघन करके) उसको खो डालो या (बाप की आज्ञा का पालन करके) उसकी सुरक्षा करो। एक अन्य हदीस में है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह की सहमति बाप की सहमति में है और अल्लाह का क्रोध बाप के क्रोध में है।

अमर बिन मर्रह उलजहनी रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि किसी व्यक्ति ने आकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह! मैं ईमान रखता हूं कि अल्लाह एक है, कोई उसका शरीक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं पांच नमाज़ें भी पढ़ता हूं, अपने माल की ज़कात भी देता हूं, रमज़ान के रोज़े भी रखता हूं। यह बताइए कि यह सब काम तो अल्लाह के लिये हैं, मुझे क्या मिलेगा? आप ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति यह करता हुआ

मरेगा क़यामत के दिन वह सच्चे नबियों और शहीदों के साथ इस तरह होगा जैसे यह दो उंगलियां, मगर शर्त यह है कि वह माता-पिता की अज्ञा का उल्लंघन न करता हो।

आपके फ़रमाने का अर्थ यह हुआ कि अगर दुनिया में कोई ईमान वाला नमाज़, रोज़ा, ज़कात अदा करता हो लेकिन इन अच्छे कामों के साथ माता-पिता की अज्ञा के उल्लंघन का पाप करते करते मर गया तो ईमान, नमाज़, रोज़ा और ज़कात जैसे अच्छे काम तो उसको स्वर्ग की ओर ले जाना चाहेंगे लेकिन माता-पिता की अज्ञा का उल्लंघन इतना बड़ा पाप है जो दीवार बन कर सामने आ जाएगा कि जब तक इस पाप की सज़ा नहीं भुगतेगा स्वर्ग में नहीं जा सकेगा।

एक हदीस में आता है कि एक व्यक्ति ने आकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह! मेरी माँ बिलकुल असहाय है, जो कुछ बचपन में वह मेरी सेवा करती थी अब मैं उसी तरह उसकी सेवा कर रहा हूं तो क्या उसका हक़ अदा हो जाएगा? आप ने जवाब दिया कि "नहीं"। अर्थ यह है कि जब वह तेरी सेवा करती थी तो उसके दिल में तेरी मुहब्बत और भलाई का समुंद्र उतरा हुआ था। वह हर समय तेरे स्वास्थ्य, सौभाग्य और लम्बी आयु की कामना करती थी और तू इस समय उसकी सेवा करता है तो तेरा दिलचाहता है कि ऐ अल्लाह ईमान के साथ उसकी मुश्किल को आसान फ़रमा दे, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते और न उधार अदा हो रहा है।

इस लिये हर वह व्यक्ति जिसके सिर पर माता-पिता का साया है या दोनों में से एक जीवित है तो उसके अस्तित्व को अल्लाह की बहुत बड़ी नेअमत समझ कर सम्मान करना चाहिये और यथा संभव उनके दिल को प्रसन्न रखना चाहिये और दुआएं लेते रहना चाहिये।

❑❑